ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 61-63

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

महिला सशक्तिकरण

धर्मेश कुमार सिंह

शोध अध्येता– समाजशास्त्र विभाग, उदय प्रताप स्वायत्तशासी महाविद्यालय, वाराणसी, भारत

Received- 05 .10. 2021, Revised- 15 .10. 2021, Accepted - 18.10.2021 E-mail: dharmeshsingh045@gmail.com

सारांशः *भारतीय संस्कृति में नारी सदा ही शक्ति का प्रतीक मानी जाती है हमारे ऋषियों की मान्यता थी, जहाँ नारी को समुचित सम्मान मिलता है वहाँ देवता निवास करते है। वैदिक काल की ऋषिकाऐं हो या 19–20 वीं सदी की क्रान्तिकारी महिलाएं, ये नारी शक्ति के विभिन्न रूप है, परन्तु फिर भी उसे समाज में पितृसतात्कता के कारण पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हुए है। आज हम स्मृतियों से संविधान तक आ गये है, जहाँ के प्रत्येक क्षेत्र में नारी को पुरूषों के समान अधिकार प्रदान किय गये है। इन अधिकारों की क्रियान्वित के लिए महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है। सरकार द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रमों एवं नीतियों के माध्यम से राजनीति में महिला सहभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे है। महिलाओं में अपने राजनीतिक अधिकार के प्रति जागरूकता व राजनीतिक सशक्तिकरण न केवल महिलाओं के विकास के लिए जरूरी है। बल्कि उनकी रचनात्मक क्षमता की सुलभता समाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बिना देश निरन्तर विकास के पथ पर प्रगति नहीं कर सकता। महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता एवं सशक्तिकरण के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है, परन्तु क्या महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है।*

महिला सशक्तिकरण बहुआयामी, बहुपक्षीय और बहुस्तरीय अवधारणा है। महिला सशक्तिकरण ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाओं का संसाधनों के बड़ें हिस्सें पर नियंत्रण होता है। इसमें संसाधनों यानी भौतिक, इंसानी और बौद्धिक जैसे ज्ञान सम्बन्धी सूचना, विचारों और वित्तीय संसाधन पर महिलाओं की पकड़ होती है। साथ ही इस प्रक्रिया के तहत घर, समुदाय, समाज और राष्ट्र में फैसले लेने में महिलाओं की अहम भूमिका होती है और उनके पास पैसे की उपलब्धता होती है। चित्रण आरंभ हो गया था और यह चित्रण मानव जीवन के आधुनिक काल तक भी अपना वैभव प्रकट कर रहा है।

कुंजीभूत शब्द– वैदिक काल, क्रान्तिकारी महिलाएं, पितृसतात्कता, स्मृतियों, संविधान, क्रयान्वित, सशक्तिकरण ।

वैश्विक स्तर पर नारीवादी आन्दोलनों और यू.एन.डी.पी. आदि अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्पूवर्ण भूमिका निभायी है। महिला सशक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। भारत में आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम में योगदान दे तो भारत की विकास दर दहाई की संख्या में होगी फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ कुछ लोग महिला रोजगार के बारे में बात करते है लैगिक असमानता भारत में मुख्य सामाजिक मुद्दा है जिसमें महिलाएँ पुरूषवादी प्रभुत्व देश में पिछड़ती जा रही है। पुरूष और महिला को बराबरी पर लाने के लिए महिला सशक्तिकरण में तेजी लाने की जरूरत है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उत्थान राष्ट्र की प्राथमिकता में शामिल होनी चाहिए। महिला और पुरूष के बीच की असमानता कई समस्याओं को जन्म देती है जो राष्ट्र के विकास में बड़ी बाधा के रूप में समाने आ सकती है। ये महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उन्हें समाज में पुरूषों के बराबर महत्व मिले। वास्तव में सशक्तिकरण को लाने के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों से अवगत होना चाहिए न केवल घरेलू और पारिवारिक जिम्मेदारियां बल्कि महिलाओं का हर क्षेत्रों में सक्रिय और सकरात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें अपने आस–पास और देश में होने वाली घटनाओं का भी जानना चाहिए।

प्राचीन समय से भारत में लैगिंक असमानता थी और पुरूष प्रधान समाज था। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वारा कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई। परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया, ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखायी पड़ता है। महिलाओं के लिए प्राचीन काल से चले आ रहे गलत और पुराने चलन को नये रिति–रिवाजों और परम्परा में ढाल दिया गया था।

सशक्त महिला, सशक्त समाज, देश के विकास में दोनो ही एक दूसरे के पूरक है। देश में महिलाओं का सशक्तिकरण होना आज की महती आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना। भारत में महिलाएं, शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला व संस्कृति, सेवा क्षेत्र, विज्ञान प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में भागीदारी करता है।

भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं की समानता की गारंटी देता है। राज्य द्वारा किसी के साथ लैगिंक

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

आधार पर कोई भेद–भाव नहीं करता। सभी को अवसरों की समानता प्राप्त है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान 39(घ) में इसके साथ ही राज्य द्वारा महिलाओं व बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।

भारत सरकार ने 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। सन् 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण की नीति पारित की गई। देश में ना तो महिलाओं को सशक्त बनाने वाली सरकारी योजनाओं की कमी है और ना ही स्त्री विमर्श करने वालों की, फिर भी लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह व्यवहारिक जीवन में हमारे आप–पास के परिवेश में नजर नहीं आ रहीं रहीं है।

कुछ योजनाएँ और जागरूक करने वाले विज्ञापन समाज में महिलाओं की स्थिति ना तो बदल पाए है और ना ही बदल पाऐंगे। अगर सामाजिक, पारिवारिक और वैचारिक बदलाव आए तो शायद महिलाओं की समस्याएँ कुछ कम हो साथ ही विचारों के इस परिवर्तन को व्यवहार में भी लाया जाए। महिलाऐं पंच–सरपंच बन भी जाये तो क्या ? अगर उन्हें निर्णय लेने का अधिकार ही ना मिले या फिर उनके इन अधिकारों को घर के लोग ही छीन ले। ऐसे में सरकारी नीतियां कहाँ तक सफल हो पायेगी ? सरकार महिलाओं को हक तो दे सकती है पर जब तक उनके अपनो की सोच में परिवर्तन नहीं आता, उनका चौखट से चौपाल तक का सफर आसान नहीं हैं।

हम पढ़ी–लिखी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला को हर तरह से सशक्त और सफल मान लेते है। पर क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है? घन–उपार्जन तो यू भी महिलाएं हमेशा से ही करती आई है। आज भी गाँव में खेती–बाड़ी में महिलाएँ पुरूषों से कही ज्यादा श्रम करती है। जिसके चलते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थोपार्जन में उनकी भागीदारी है और सदा से ही रही है। कभी–कभी लगता है कि हमारे आस–पास बहुत कुछ बदल तो रहा है पर यह बदलाव सतही ज्यादा है। महिलाएं कामकाजी तो बन रही है पर सुरक्षित घर लौट आने की गारंटी नहीं है। एक पढ़ी–लिखी माँ–बेटी को जन्म देने का निर्णय खुद नहीं कर सकती। यही वजह है कि जो बदलाव आये है, वे भी पुरी तरह से महिलाओं के पक्ष में ही हो ऐसा नहीं है इसलिए वैचारिक बदलाव जब तक हमारे व्यवाहर का हिस्सा नहीं बनगें तब तक महिला सषक्तिकरण का नारा बस खेल ही बनकर रह जायेगा।

73वें संविधान संशोधन–1992 में महिलाओं को पंचायत एक तिहाई (33%) आरक्षरण दिया गया है। वर्तमान समय में इस आरक्षण को कई राज्यों ने इस सीमा को बढ़ाकर 50 प्रतिषत कर दिया है। यही कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी बढ़ी है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'पंचायती राज अधिनियम' 1992 महिलाओं के लिए एक वरदान के रूप में उभरी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में इस कानून के लागू होने से महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। एक ओर जहाँ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ घूँघट में रहने के लिए विवश थी और उन्हें पंचायतों में बोलने को बहुत कम अधिकार था। अपने पति, पिता या अन्य रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता है। महिलाए अपनी समस्याओं पर खुद नहीं बोल पाती थी। लेकिन आज का समाज भी बदल रहा है और उन्हें इसके लिए अधिकार भी मिल रहा है।

जेंडर समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। ये जरूरी है कि महिलाएं शारीरिक, मानसिक, और सामाजिक रूप से मजबूत हो। एक बेहतर शिक्षा की शुरूआत बचपन से घर पर हो सकती है। महिलाओं के उत्थान, के लिए एक स्वस्थ्य परिवार की जरूरत है, जो राष्ट्र के सर्वांगिड़ विकास के लिए आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण के सपने को सच करने के लिए लड़कियों के महत्व और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की जरूरत है। देश को विकसित बनाने तथा विकास के लक्ष्य को पाने के लिए एक जरूरी हथियार के रूप में है। महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण योजना बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं योजना की शुरूआत 22 जनवरी 2015 को प्रारम्भ की गयी। इस योजना के उद्देश्य बालिका लिंग अनुपात में गिरावट रोकना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना 'प्रधानमंत्री उज्जवला योजना', 1 मई 2016 के आर्थिक रूप से कमजोर गृहणियों को गैस सिलेन्डर उपलब्ध कराना। 22 जनवरी 2015 को 'सुकन्या समृद्धि योजना' में 10 वर्श से कम उम्र की बेटी के लिए खाता खुलवा सकते है। फ्री सिलाई मशीन योजना, ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्र की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं, सभी राज्यों को 50000 हजार निःशुल्क सिलाई मशीन उपल्बध करायी जा रही है। महिला सशक्तिकरण आज की जरूरत है क्योंकि इसी सशक्तिकरण की वजह से महिलाओं में हो रही प्रगति भी देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए देश के सभी छोटे–बड़े क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। जिसके लिए सभी महिलाओं को समाज से डरकर नहीं बल्कि झाँसी की रानी की तरह एक योद्धा बनकर आगे आना चाहिए। क्योंकि झाँसी की रानी को योद्धा थी जो एक स्त्री होकर भी जिन्होंने अंग्रेजो के गुलामी के खिलाफ आवाज उठाया था। जिसमें इस महिला ने पूरे देश को उस स्वतंत्रता सग्राम में एक किया था।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

निष्कर्ष–महिला सशक्तिकरण से महिलाएं की स्थिति में काफी सुधार तो आया है। परन्तु अभी वह महिलाऐं इतनी सशक्त नहीं है कि इस व्यवस्था में अपनी जोरदार भूमिका निभा सके। इसके लिए महिलाओं को निडर होकर आना होगा।

'स्वामी विवेकानन्द' ने कहॉ है कि "महिला की स्थिति में सुधार के बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि 'पंक्षी' के लिए एक पंख के साथ उड़ना मुश्किल है।" देश की तरक्की के लिए हमें भारत की महिलाओं का सशक्त बनाना होगा। एक बार जब महिला कदम उठा लेती है, तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, निशान्त : "स्त्री सशक्तिकरण : एक मूल्यांकन" खुशी पब्लिकेशन्स, 2011।
2. सिन्हा, डॉ. प्रभा : "महिला विकास और सशक्तिकरण एवं जन कल्याण"
3. शर्मा प्रज्ञा (2011) : "भारतीय समाज में नारी" जयपुर : पब्लिकेशन प्वांटर।
4. अंसारी, एम.ए. (2010) : "महिला व मानवाधिकार" जयपुर ज्योति प्रकाशन।
5. योजना : अगस्त (2019)

*****